न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/66/20223	2023/347	26-07-2023	26-06-2024

01– पप्पू पुत्र कालूराम जाति नट,
02– श्रीमती शिमला पत्नि श्री पप्पू, जाति नट, निवासी ग्राम सुक्ल हाल निवारी नटनी के बारा के पास, तहसील अलवर जिला अलवर ।

–अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार अलवर जिला अलवर।

–रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार अलवर दिनांक 09.06.2021 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 76/2021

उपस्थितः–
01–श्री आनंद सिंह। –वकील अपीलाण्ट

निर्णय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र.)

अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 09.06.2021 प्रकरण संख्या 76/2021 जिसके द्वारा सम्वत 2077 में ग्राम सुक्ल हाल निवासी नटनी के बारा के पास, अलवर की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 971 रकबा 0.03, 974 रकबा 0.04, 976 रकबा 0.16, 977 रकबा 0.02, 978 रकबा 0.30, 979 रकबा 0.22 वाके ग्राम धर्मपुरा, तहसील अलवर है। तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपना कथित निर्णय दिनांक 09.06.2021 को अपीलान्ट के बाला बाला इकतरफा में सादिर फरमाया है, अपीलान्ट के नाम जो तामील जारी की गई थी, उस पर तामील कुनिन्दा की यह रिपोर्ट है घर पर गया तो ताला बन्द मिला। इस प्रकार उक्त प्रकरण की कोई तामील अपीलान्ट को नही हो सकी और अपीलान्ट अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर सका। अपील हाजा निर्णय की तिथि से नकल का समय दिनांक 05.07.2021 से 06.07.2021 तक का समय मुजरा दिये जाने से अन्दर मियाद पेश है, अधिनस्थ न्यायालय कतई गलत व खिलाफ कानून व खिलाफ वाकेयात पत्रावली होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण की कोई तामील अपीलान्ट पर नही हो सकी और अपीलान्टस अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय महज एक साईक्लोस्टाईल आदेश है, जिसमें केवल खाली स्थान हाथ से भरे गये है, जो आदेश कानूनन न्यायिक आदेश व स्पीकिंग आदेश की तारीक मे नही आता है और निरस्त फरमाये जाने योग्य है, अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय सरसरी तौर पर सादिर फरमाया है, जिसमें ना तो किसी गवाह का बयान लिया है और ना ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों से विवादित आराजी पर अपीलान्टस का अतिक्रमण होना साबित पाया जाता है। वास्तव में सही तथ्य इस प्रकार है कि

न्यायालय जिला कलक्टर (प्र.)
अलवर (राज0)

विवादित आराजी से लगती हुई आराजी खसरा नम्बर 972, 973, 975, हम अपीलान्टस के पूर्वजों की खरीदशुदा आराजी है, जिस पर गत पचासो साल से अपीलान्टस का कब्जा अपने पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा है, एवं विवादित आराजी में हमने गैर मुमकिन चाह का निर्माण भी कराया है और पक्के मकानत भी गत काफी समय से यानि पचासो साल से बने हुए है, विवादित आराजी पर अपीलान्टस का कब्जा पचासो साल से चला आ रहा है और किसी प्रकार से अतिक्रमण किया जाना साबित नहीं पाया जाता है। जिस भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है, उनकी किस्म ऐसी नहीं है जो विनियमन नहीं हो सकती हो चूकि विवादित आराजी पर अपीलान्टस का कब्जा पचासो साल से जायदअज 20 साल से लगतार चला आ रहा है, इसलिए उपरोक्त आराजी अपीलान्टस के हक में विनियमन किया जाना न्यायहित में उचित था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बाबत गौर नहीं किया और ना ही इस संबंध में अपनी कोई फाईडिंग दी। मौके पर अपीलान्ट के बनाये हुए गैरमुमकिन चाह व पक्के मकानत मौजूद है और यदि अपीलान्टस को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्टस को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा और वो अपनी खरीदशुदा आराजी की भी सिचाई वगैरा नहीं कर सकेगें और खरीदशुदा आराजी बेकार व बरबाद हो जावेगी। शेष उज्रात वक्त बहस अर्ज किये जायेगें। अपील अपीलान्टस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय साहब तहसीलदार अलवर दिनांक 09.06.2021 निरस्त फरमाई जावे एवं विवादित आराजी को नियमानुसार अपीलान्टस के हक में नियमन किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनाक 09.06.2021 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 07.07.2021 को पेश की गयी है। जो करीब 27 दिन के विलम्ब पेश की गयी है। जो अन्दर मियाद पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में अपीलांट को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के उपरांत भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं गया। जिस कारण अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्य अप्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 09.06.2021 न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.06.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)